न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय जी0आर0 सं0–950 / 2023

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, विचारण सं0–1493 / 2025

व्यवहार न्यायालय, अरवल। मेहन्दिया थाना कांड सं0–226 / 2023

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल, बिहार

जिला–अरवल, बिहार

निर्णय की तिथि –08.04.2026

उपस्थितः श्री मनीष कुमार पाण्डेय

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अरवल, बिहार

जी0आर0 सं0–950 / 2023
मेहन्दिया थाना कांड सं0–226 / 2023

सूचक	राज्य द्वारा सूचिका, देवमती देवी,
अभियोजन की तरफ से	श्रीमती रश्मि सिंह, सहायक लोक अभियोजक
अभियुक्त	1. कुसुम देवी, पति–उनदेव राम, 2. मीना देवी, पति–दशई राम, 3. उनदेव राम, पिता–स्व0 धनकेश्विर राम, 4. दशई राम, पिता–धनकेश्वर राम सभी साकिन–हरदियां, थाना–मेहन्दिया, जिला–अरवल
प्रतिरक्षा के तरफ से	श्री राम कुमार, विद्वान अधिवक्ता

संज्ञान अन्तर्गत धारा– 341, 323, 504 / 34 भा0द0वि0।

आरोप अन्तर्गत धारा– 341, 323, 504 / 34 भा0द0वि0।

1.अपराध की तारीख	27.09.2023
2.प्रथम सूचना तिथि	28.09.2023
3.संज्ञान की तिथि	03.01.2024
4.आरोप का गठन की तारीख	12.03.2024
5.साक्ष्य प्रारम्भ की तिथि	09.05.2024
6.निर्णय पर निर्धारित करने की तिथि	25.03.2026
7.निर्णय कि तिथि	08.04.2026

न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **जी0आर0 सं0–950 / 2023**

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, **विचारण सं0–1493 / 2025**

व्यवहार न्यायालय, अरवल। **मेहन्दिया थाना कांड सं0–226 / 2023**

8.सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो,	

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तारीख	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्धि	निर्धारित सजा	विचारण के दौरान निरोध की अवधि
1. 2. 3. 4.	कुसुम देवी, मीना देवी, उनदेव राम, दशई राम,	गिरफ्तार नहीं हुए हैं।	12.03.24 ,, ,, ,,	धारा– 341, 323, 504 / 34 भा0द0वि0	दोषमुक्त		

अंतिम आदेश

1. प्रस्तुत दाण्डिक वाद में उपर नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 341, 323, 504 / 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध विचारण अंतर्गत धारा– 341, 323, 504 / 34 भा0द0वि0 में प्रारंभ किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन का संक्षेप में कथन यह है कि 27.09.23 को समय करीब 5:30 बजे संध्या में मेरे पड़ोसी उनदेव राम, दसई राम, कुसुम देवी एवं मीना देवी अपने हाथों में लाठी, खंती एवं गड़ासी लेकर मेरे दरवाजा पर आकर गाली–गलौज करते हुए मेरे साथ उनदेव राम तथा दसई राम दोनों मिलकर मेरे साथ अभ्रद्र व्यवहार करते हुए जान मार देने की धमकी दिया, जब मैं गाली–गलौज तथा अभद्रता व्यवहार करने से रोका तो सभी मिलकर खींच कर जमीन पर पटक दिया, कुसुम देवी, मीना देवी दोनों मिलकर मेरे गले का जीतिया जो आठ आने का सोने का था, किमत करीब पच्चीस हजार रुपये था, उसे छीन लेने का आरोप लगायी है।

प्रकियात्मक इतिहास

3. प्रस्तुत मामले में दिनांक 03.01.2024 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 341, 323, 504 / 34 भा0द0वि0 में संज्ञान लिया गया। मामले के दिनांक 12.03.2024 को अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा– 341, 323, 504 / 34 भा0द0वि0 में आरोप का गठन गया। मामले में अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण का दावा किया। यह कि अभियोजन की तरफ से 02 साक्षी को प्रस्तुत किया गया है। साक्ष्य

न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **जी0आर0 सं0–950/2023**

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, **विचारण सं0–1493/2025**

व्यवहार न्यायालय, अरवल। **मेहन्दिया थाना कांड सं0–226/2023**

बंद किया गया, अभियुक्तगण का द0प्र0सं0 की धारा– 313 में बयान लिया गया, प्रतिरक्षा की तरफ से मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया ।

अवधारण के लिए प्रश्न

4. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन आरोप को साबित करने में सफल रहा है?

मंतव्य

5. प्रस्तुत दाण्डिक वाद में उपर्युक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 341, 323, 504/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोपित अपराध का विचारण किया गया। अभियोजन की तरफ से 03 साक्षी उपस्थित हुए। प्रतिरक्षा की तरफ से मौखिक साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया तथा न ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन साक्षी का नाम इस प्रकार से हैः–
अभि.साक्षी–01, देवमती देवी,
अभि.साक्षी–02, बिन्देश्वरी प्रसाद,
अभि.साक्षी–03 गणेश कुमार

प्रतिरक्षा की तरफ से मौखिक साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रतिरक्षा की तरफ से न ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

तदनुसार मामले पर विचार किया जाता हैः–

अभि0 साक्षी सं.1 देवमती देवी ने अपने मुख्य परीक्षण मे कहा कि घटना 27.09.23 शाम पांच बजे की है, मेरे पति पटना में रहते थे, घटना के दिन दशई राम, देव राम, कुसुम, मीना सभी लोग मेरे घर में घुस गये सबके हाथ में खंती, गड़ासी था और लोग मेरे साथ मार–पीट किये। मुझे पैर और सर में चोट आयी, छीना झपटी भी किये। मेरा जीतिया छीन लिये। अभियुक्तों ने मार–पीट किया। पहचानते हैं।

अभि. साक्षी संख्या 1 देवमती देवी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घ ाटना के नौवें महीने में हुई थी, उस समय मेरे पति पटना में थे, घटना के दिन मेरे अलावा कोई नहीं था, घटना के दूसरे दिन आवेदन दिये, पुलिस उसी दिन पूछताछ किया। चौहदह्दी उत्तर–मेरे निजी घर के लोग, पश्चिम–सात फीट की गली, पूरब–मेरा जमीन, दक्षिण–परती जमीन। घटना आंगन और गली में हुई। मैंने पुलिस को बताया था कि लाठी से मारपीट किया। इलाज प्राइवेट डॉक्टर से करवाया था। ऐसी बात नहीं है कि मेरे दरवाजा के सामने गली है और गली के सामने

Civil Court, Arwal

दरवाजा है। ऐसी बात नहीं है कि जैसा मुख्य परीक्षण में कहा, वैसी कोई घटना नहीं घटी।

अभि.साक्षी–2 विन्देश्वरी प्रसाद सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण मे कहा कि घटना 27.09.23 की है, शाम साढ़े पांच बजे थे, मेरे घर के मुख्य दरवाजे पर उनदेव राम, दसई राम ने दरवाजा खोल दिये, जब मैं मना किया तो गाली–गलौज, मार–पीट किया। मुझे उनदेव और दसई ने खंती और गड़ासी से मारा, मेरे पत्नी के गले से जीतिया छीन लिया, अभियुक्तों को पहचानते हैं।

अभि. साक्षी संख्या 2 विन्देश्वरी प्रसाद सिंह ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मेरा घर अभियुक्तगण के सामने है। सरकारी गली में नाली खोलने को लेकर घटना एक डेढ़ साल पहले हुई थी, यह कि आवेदन जिस तरह से लिखा जाता है दरोगा जी ने बताया, घटना के समय पटना में था। आवेदन देने के बाद मैं पुलिस से कभी नहीं मिला। घटना स्थल की चौहद्दी मैं नहीं जानता।

अभियोजन साक्षी सं0–3 गणेश कुमार ने मुख्य परीक्षण में कहा कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। गवाह पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

अभियोजन साक्षी सं0–3 गणेश कुमार ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अभियुक्तगण गांव के व्यक्ति हैं, इसलिए पहचानते हैं।

6. मामले में प्रतिरक्षा ने बहस करते हुए कहा कि मामले में उपस्थित सभी साक्षियों में से साक्षी सं02 अनुश्रुत साक्षी हैं, साक्षी सं0–3 पक्षद्रोही हो गया है। अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं हुआ है। इस प्रकार से अभियोजन घटना संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त करने की कृपा किया जाए।

7. अभियोजन ने मामले मे बहस करते हुए कहा कि मामले में तीन साक्षियों में दो साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध करने की कृपा किया जाए।

8. मामले मे उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मामले के साक्षी सं0–3 पक्षद्रोही हो गये हैं, जबकि साक्षी सं0–2 के द्वारा घटना का समर्थन किया गया है लेकिन वे अनुश्रुत साक्षी हैं, उन्होंने स्वयं अपने बयान में कहा है कि वह घटना के बारे में पुलिस को बयान नहीं दिये। मामले में अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं हुआ है। मामले में घटना स्थल प्रमाणित नहीं हो सका है, इसलिए प्रस्तुत मामले में अभियोजन आरोप संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इस प्रकार से मामले में अभियोजन

Civil Court, Arwal

न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **जी0आर0 सं0–950 / 2023**

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, **विचारण सं0–1493 / 2025**

व्यवहार न्यायालय, अरवल। **मेहन्दिया थाना कांड सं0–226 / 2023**

आरोपित धाराओं 341, 323, 504 / 34 भा0द0वि0 संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

9. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण 1. कुसुम देवी, पति–उनदेव राम, 2. मीना देवी, पति–दशई राम, 3. उनदेव राम, पिता–स्व0 धनकेश्विर राम, 4. दशई राम, पिता–धनकेश्वर राम सभी साकिन–हरदियां, थाना–मेहन्दिया, जिला–अरवल को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा– 341, 323, 504 / 34 भा0द0वि0 से संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है एवं बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांकः–08.04.2026 लेखापित एवं संशोधित

स्थानः–व्यवहार न्यायालय, अरवल

मनीष कुमार पाण्डेय

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

जे0 ओ0 कोड–BR00961

अरवल, बिहार।

10. यह निर्णयादेश मेरे द्वारा टंकित, शुद्धिकृत, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–08.04.2026 लेखापित एवं संशोधित

स्थानः–व्यवहार न्यायालय, अरवल।

मनीष कुमार पाण्डेय

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

जे0 ओ0 कोड–BR00961

अरवल, बिहार।

परिशिष्ट

अभियोजन, प्रतिरक्षा, न्यायालय साक्षी की सूची

क–अभियोजन साक्षी की सूची

अभियोजन की तरफ से 03 साक्षी प्रस्तुत किया गया।

Civil Court, Arwal

न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **जी0आर0 सं0–950 / 2023**

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, **विचारण सं0–1493 / 2025**

व्यवहार न्यायालय, अरवल। **मेहन्दिया थाना कांड सं0–226 / 2023**

अभियोजन साक्षी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1	देवमती देवी	अभि. साक्षी
2	बिन्देश्वरी प्रसाद,	अभि. साक्षी
3	गणेश कुमार	अभि. साक्षी

ख–प्रतिरक्षा द्वारा न्यायालय में साक्षी प्रस्तुत नहीं है।

प्रतिरक्षा साक्षी संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति

अभियोजन, प्रतिरक्षा, न्यायालय प्रदर्श की सूची

क– अभियोजन की तरफ से प्रदर्श प्रस्तुत नहीं है।

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

ख–प्रतिरक्षा, की तरफ से दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया है।

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

दिनांकः–08.04.2026 लेखापित एवं संशोधित

स्थानः–व्यवहार न्यायालय, अरवल।

मनीष कुमार पाण्डेय

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

जे0ओ0 कोड–BR00961

अरवल, बिहार।

Civil Court, Arwal